

आदेश की क्रम
संख्या एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

1

2

3

27/11/2011

न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ
विविध अनुमति वाद संख्या-205/2010
बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा-49 (जी0)

1. भोला उरांव, पिता-कामती उरांव,
2. बैजनाथ उरांव, पिता-सुकरा उरांव
3. विनोद उरांव, पिता-सोमरा उरांव
4. संदीप उरांव, पिता-सोमरा उरांव

सभी का साकिन-लाईन टोला मरंगा, थाना- खजांची हाट, जिला- पूर्णियाँ.....

आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदकगण द्वारा अपनी पुत्री के शादी में होनेवाली खर्च के लिये मौजा-मरंगा, थाना नं0-110, खाता नं0-1586, खेसरा नं0-1824, 7372, 1732, 1826, 1825, रकवा-0.14 डिसमिल जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा- मरंगा, थाना नं0-110, खाता नं0-1586, खेसरा नं0-1824, 7372, 1826, 1825, रकवा-4.27.2 एकड़ भूमि जमाबन्दी संख्या-1586 है, बिक्री करने के पश्चात भी आवेदक के पास 4.13.02 कड़ी जमीन बच जाता है। अपनी पुत्री की शादी करने हेतु जमीन बिक्री करना चाहता है।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से जाँच प्रतिवेदन की मांग अपर समाहर्ता के द्वारा उनके न्यायालय के अभिलेख संख्या-16/2009 में की गयी। उक्त अभिलेख में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के द्वारा पत्रांक 1317, दिनांक 11.06.2010 प्रेषित प्रतिवेदन प्राप्त है। निम्न न्यायालय का अभिलेख संख्या जाँच प्रतिवेदन सहित संलग्न है। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित है कि :-

आवेदकगण द्वारा धारित भूमि का ब्यौरा :

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	जमाबन्दी संख्या
मरंगा	110	1586	1824/6372 1732, 1826, 1828	4.21.02	1586

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर					आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2					3
	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा	जमाबन्दी संख्या
	मरंगा	110	1123	1823, 1824, 1818	0.83 1/2	1123
	कुल रकवा				5.04 1/2.5	
बिक्री की जानेवाली भूमि का विवरण :						
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा		
मरंगा	110	1586	1824 / 6372	0.04		
			1732	0.03		
			1826	0.04		
			1828	0.03		
			कुल रकवा	0.14 एकड़		
बिक्री के पश्चात अवशेष भूमि का रकवा :						
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा	जमाबन्दी संख्या	
मरंगा	110	1586	1824 / 6372 1732, 1826, 1828	4.07.02	1586	
		1123	1823, 1824, 1818	0.83 1/2	1123	
			कुल रकवा	4.91 1/2.5		
<p>आवेदकगण अपनी पुत्री की शादी के लिए जमीन बिक्री करना चाहता है। वर्तमान में प्रश्नगत जमीन आवेदक के दखल-कब्जा में है। प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदकगण भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार, भूदान, भूहदबन्दी एवं सैरात से मुक्त है। अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदकगण को अपनी पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: right;">समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p style="text-align: left;">समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>						